तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5710 / 2004 / कोटा** **नेनूराम बनाम समोल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

1– श्री माधवराजसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।
2– श्री सुमित जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक – 03.06.2025

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा की अपील सं0 336/2002 में पारित आदेश दिनांक 03–11–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी नेनूराम को खसरा नं0 33/325 रकबा 10 बीघा ग्राम हीरापुरा तहसील लाडपुरा का आवंटन दिनांक 17–06–1969 को किया गया। प्रार्थिनी समोल द्वारा विचारण न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी पर 30 वर्षों से उसका कब्जा है एवं अपीलांट को किया गया आवंटन विधिविरूद्ध है तथा वादग्रस्त आराजी पर उसकी कोई काश्त नहीं है। आवंटन दिनांक 17–06–1969 ग्राम हीरापुरा तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं0 33/325 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आवंटित की गयी थी। जिसके नये खसरा नं0 82 रकबा 1–05 है0 कायम हुए। आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी को शर्त सं0 7(2) के अनुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं दूसरे वर्ष में शेष भूमि को काश्त करना था

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5710 / 2004 / कोटा** **नेनूराम बनाम समोल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लेकिन अप्रार्थी को उक्त भूमि का आज तक पता ही नहीं है। प्रार्थिनी का 30 वर्षो से विवादित आराजी पर कब्जा है। इसलिए आवंटन नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–09–2002 से प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसी निर्णय के विरूद्ध प्रार्थिनी द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03–11–2004 से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 28–09–2002 को अपास्त कर दिया तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 18–09–1995 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 09–01–1970 को निरस्त कर दिया गया। जिस निर्णय दिनांक 03–11–2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलांट की वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 17–06–1969 को विधिवत् तौर पर किया गया है। अपीलांट लागातार वादग्रस्त आराजी पर बतौर आवंटी होकर काबिल चला आ रहा है व आवंटन शर्तो की पालना होने की जाँच की जाकर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। आवंटन के 34 वर्ष पश्चात् अपीलांट का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5710 / 2004 / कोटा** **नेनूराम बनाम समोल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कब्जा अपना होना बताकर ही आवंटन को चुनौती दी है जबकि वह किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा साबित नहीं कर पाई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों के विपरीत जाकर सत्यापन पर अपीलांट के हस्ताक्षर न होना मानकर जो आवंटन निरस्त करने की आज्ञा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की है वह विधिक भूल है। गत 34 वर्षों से अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बतौर आवंटी काश्त कर रहा है व विपक्षी द्वारा आवंटन के 26 वर्ष पश्चात् नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे विपक्षी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था तथा उसने दुर्भावना पूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा कोई मिस रिप्रजंटेशन या फ्रोड नहीं किया है व न ही ऐसा कोई तथ्य विपक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखा गया किन्तु संदेह के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 03–11–2004 को निरस्त किया जाकर अति0 जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–09–2002 एवं अपीलांट का आवंटन आदेश बहाल रखा जावे।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के तर्कों का विरोध करते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–09–2002 से खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–11–2004 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर अति0 जिला कलक्टर, कोटा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–09–2002 को अपास्त कर अपीलांट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5710 / 2004 / कोटा** **नेनूराम बनाम समोल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-09-1995 स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 09-01-1970 को निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत् है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6- विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व परिशीलन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी समोल द्वारा विचारण न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन दिनांक 17-06-1969 ग्राम हीरापुरा तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं0 33/325 रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आवंटित की गयी थी जिसके नये खसरा नं0 82 रकबा 1-05 है0 कायम हुए। आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी ने शर्त सं0 7(2) के अनुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष में शेष भूमि को काश्त करना था लेकिन अप्रार्थी को उक्त भूमि का आज तक पता नहीं है। प्रार्थिनी का 30 वर्षो से विवादित आराजी पर कब्जा है। इसलिए आवंटन नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28-09-2002 से प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील प्रार्थिनी/अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष की गयी। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03-11-2004 से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 28-09-2002 को अपास्त कर दिया। अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-09-1995 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 09-01-1970 को निरस्त कर दिया गया।

8- प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5710 / 2004 / कोटा** **नेनूराम बनाम समोल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कोटा की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 24–09–2001 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि :–

"वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नं0 33/325 रकबा 10 बीघा के वर्तमान खसरा नं0 82 रकबा 1.05 है0 में नेनूराम आत्मज श्री पूरा चारण निवासी राम तलाई माण्डलिया का कब्जा नहीं है। सम्मत् 2058 खरीफ में चली व मक्का की फसल समोल पुत्री देवकरण जाति चारण मादनवाड़ा की फसल होना बताया गया है। उपस्थिति व्यक्तियों ने बताया है कि इस भूमि पर जबरन कब्जा कर 8–10 वर्षों से कब्जा बताया गया है।"

अति0 जिला कलक्टर, कोटा द्वारा अपने आलौच्य निर्णय दिनांक 28–09–2002 में माना है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवंटन के समय विवादित भूमि पर प्रार्थिनी का कब्जा था तथा आवंटी को इस भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना होने से खातेदारी अधिकार दिया जाना भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट से पाया जाता है। आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। आवंटन का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित है। प्रमाणीकरण के नीचे अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में 30 वर्षों से अधिक के आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–11–2004 से यह माना है कि विवादित भूमि का रेस्पो0 नेनूराम को दिनांक 09–01–1970 को किया गया आवंटन विधिनुकूल नहीं था क्योंकि नेनूराम के हस्ताक्षर आवेदन पत्र के सत्यापन पर नहीं थे। प्रार्थना पत्र पर नेनूराम के जो हस्ताक्षर अंकित है। जिसकी प्रमाणिकता संदेहजनक है। मिसरिप्रजेन्टेशन या फर्जी तरीके से किया गया आवंटन कभी भी निरस्त किया जा सकता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5710 / 2004 / कोटा** **नेनूराम बनाम समोल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है क्योंकि ऐसा आवंटन आदेश विधिसम्मत् नहीं होता है। रेस्पो0 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 09–01–1970 को भूमि पर कब्जा नहीं होने से भी संदेहजनक होने से खंडित किये जाने योग्य पाये जाने पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–09–2002 को अपास्त किया जाकर अपीलांटा का प्रार्थना पत्र दिनांक 18–09–1995 स्वीकार किया गया है और आवंटन आदेश दिनांक 09–01–1970 को निरस्त किया गया है। अपीलीय न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या एवं भूमि पर इतने वर्षो तक भी कब्जा नहीं होने से आवंटन को विधिसम्मत् माना जाना भी उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–11–2004 को यथावत् रखा जाता है।

10– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य